श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): सर, केरल में ये *कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... सर, केरल में लोगों को ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, please sit down. ...(*Interruptions*)... Question 141. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. CHANDRAN PILLAI: What is the subject, Sir? ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Question 141, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I want to seek a clarification. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please resume your places. ...(*Interruptions*)... Please resume your places. ...(*Interruptions*)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सर, नंदीग्राम और केरल इकट्ठे हैं और उनकी आवाज उठने के लिए ...(**व्यवधान**)...

SHRI K. CHANDRAN PILLAI: What is the subject, Sir?...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Place allow the Question Hour to proceed. ...(*Interruptions*)... Pl- allow the Question Hour to proceed. I would request the hon. Members to resume their places. ...(*Interruptions*)... Please resume your places. ...(*Interruptions*)... Please resume your places. ...(*Interruptions*)... Allow the question hour to proceed. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, what is this? What is going on? ...(*Interruptions*).. What is going on? What is this, Sir? ...(*Interruptions*)... What is going on? ...(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: Hon, Minister ...(*Interruptions*)... Hon. Minister.

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी): सर, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी नेताओं से आग्रह करता हूं कि जिस घटना के बारे में हमारे नेतागण ने आज आपसे आग्रह किया है, उस पर हमने खुद ही मिलकर तय किया है कि 12.00 बजे चर्चा करने के बाद हम सरकार की तरफ से रेसपांड जारी करेंगे, इसलिए क्वेश्चन ऑवर चलने देना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Compulsory registration of Hindu Marriages

*141 SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government is considering a proposal to make registration of Hindu Marriages compulsory under the law;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reasons for bringing Hindu Marriages alone in the ambit of law instead of covering all the communities uniformly and simultaneously.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) No, Sir.

(b) and (c) The Supreme Court in its judgment dated 14.02.2006 in the case of Smt. Seema *Vs* Ashwani Kumar, AIR 2006 S.C. 1158, has directed that marriages of all persons who are

*Expunged as ordered by the Chair.

citizens of India belonging to various religions should be made compulsorily reigstrable in their respective States. The matter is being carefully examined in its full ramifications.

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इस विषय की ध्यानपूर्वक समीक्षा की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि यह ध्यानपूर्वक समीक्षा कब तक पूरी हो जायेगी और क्या बाकी समुदायों को भी इसमें जोड़ा जायेगा? क्या इसी सदन में इस समीक्षा की रिपोर्ट आ जायेगी अथवा यह कानून लागू हो जायेगा, सर मैं जानना चाहती हूं।

श्री हंसराज भारद्वाज: जनाबे आली, जो कोर्ट का डॉयरेक्टिव है, उसमें समय निर्धारित किया गया है कि इस समय के भीतर इनको कोर्ट को जवाब देना है। राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपना एफिडेविट दाखिल करें। कोर्ट के द्वारा समय निर्धारित हो चुका है, तो उसके अंदर ही सब अपनी कार्यवाही करेंगे। हिन्दुस्तान में मुख्तलिफ मजहब हैं, तो हम इनको अलग-अलक डील करेंगे। हिन्दु मैरिज एक्ट ऑलरेडी है और दूसरे समुदाय हैं, उन पर राज्य सरकारें चर्चा करके सुप्रीम कोर्ट को अपने विचार भेजेंगी, जब ये सब विचार आने के बाद ही सैंट्रल गवर्नमेंट यह सोचेगी कि कहां इसकी गुंजाइश है।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सभापति जी, यह जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे महिलाओं का उत्पीड़न कम होगा। अभी हमने दो दिन पहले महिला दिवस मनाया है, अगर हमें उन महिलाओं के उत्पीड़न को खत्म करना है, उनको कुछ राहत देनी है क्योंकि शादी हो जाती है, रजिस्ट्रेशन न होने के कारण उनको ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

श्री सभापति: क्वेश्चन प्लीज।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसे पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इन्होंने स्टेट से एफिडेविट मांगे हैं, आ भी रहे हैं और कई स्टेटों ने तो यह मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट पास भी कर दिया है, जैसे हिमाचल प्रदेश ने पास कर दिया है, क्या वे उसको लागू करेंगे या उसके लिए भी ये सैंटर की डॉयरेशन की वेट करें?

श्री हंसराज भारद्वाज: जनाब, मैंने अॅर्ज किया है कि जो डॉयरेक्शन्स गई हैं, वे स्टेट गवर्नमेंट्स को गई हैं और सुप्रीम कोर्ट को इंतजार है और अप्रैल में वह केस आएगा, तब उस पर ध्यान होगा। अभी जो कांस्टिट्यूशनल परमिशन है, अलग-अलग राज्य सरकारों ने कानून बनाए भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रजिस्ट्रेशन से महिलाओं के मैरिटल स्टेटस में काफी इम्प्रूवमेंट होगी। सर्टिफिकेट होने के बाद उसे एप्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह ऐसा मसला है कि इसका जल्दबाजी से हल नहीं किया जा सकता है। इसको राज्य सरकारें और केन्द्र ध्यानपूर्वक लेकर, कोर्ट में केसेज़ पेंडिंग है, तो कोर्ट से ही इसका समाधान होगा।

श्री तरलोचन सिंह: सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो आनंद मैरिज एक्ट ,1909 है, इसमें जो सिख मैरिजेज होती हैं, इसी एक्ट में होती हैं, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन क्लॉज नहीं है। तमाम सिख एसोसिएशन्स ने और तमाम सिख मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट ने और हमारी एस॰जी॰पी॰सी॰ ने आपको लिखकर भेजा हुआ है और पार्लियामेंट की कमेटी ऑन लॉ है, उसने भी रेकमेंड किया है कि आनंद मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन क्लॉज को डालिए। हम तो मांग कर रहे हैं, फिर इसमें delay क्यों हो रही है? आप कब तक हमें यह मौका देंगे कि जो तमाम मैरिजेज आनंद मैरिज एक्ट है, वे कहीं भी रजिस्टर्ड की जाए, ऑल ओवर इंडिया में।

श्री हंसराज भारद्वाज: जनाब, इस पर काफी डिमांड आ चुकी है और मैंने इसकी गहराई में जाकर देखा है, मुझे इसमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है कि सिखों को आनंद कारज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड मैरिज करने का रुल बनना चाहिए। मैंने उसका अध्ययन कर लिया है और हम इस पर बहुत जल्दी अमल करने वाले हैं।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, मैं भी यही पूछना चाहता था कि आनंद मैरिज एक्ट पाकिस्तान में लागू करने की बात कह दी। वह हमारा पड़ोसी देश है। वहां पर सिखों की संख्या बहुत कम है और वहां विदेश से बहुत से सिख आते हैं। वे वहां पर गुरुद्वारे में आनंद कारज करना चाहते हैं, उसको लागू करने के लिए वहां आनंद मैरिज एक्ट

को लागू करने की बात कही है और लागू कर दिया है, लेकिन भारत इसमें पीछे है।

महोदय, यह फैसला तो होना चाहिए। या तो युनिफोर्म सिविल कोड पास करिए या फिर जिन लोगों की भावनाओं को देखकर, जो आपके पास रेकमेंडेशन्स आई हुई हैं, उन पर विचार करते हुए आनंद मैरिज एक्ट भारत में भी तुरंत लागू हो और उस पर आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री हंसराज भारद्वाज: जनाब, मैं अहलुवालिया जी की तरह दो लैंग्वेज में नहीं बोलता। यहां पाकिस्तान की बात नहीं है, हमारे अपने दिल में बहुत ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: पाकिस्तान की बात इसलिए है क्योंकि लोग वहां जाकर कर आएंगे।

श्री हंसराज भारद्वाज: यहां पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात थोड़े ना हो रही है, हमारी अपनी पार्लियामेंट की बात हो रही है। आज तरलोचन सिंह जी ने यह बात कही है और माननीय सदस्यों ने not only Sikh, but also there is a wide demand that the marriage under the Anand Karaj Act is the best form of marriage. इसको जल्दी करना है, तो मैंने पार्लियामेंट में खड़े हो कर कह दिया है कि हम इसको जल्द से जल्द कराएंगे।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: आप इसको बजट सैशन में ले आइए। ... (**व्यवधान**)... बजट सैशन में ले आइए और पास कराइए।

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, in 1967, the DMK Government amended the Hindu Marriage Act and recognised marriages which are devoid of any religious ceremony as valid. The Chief Minister has also written to the Union Government for amending the Act on a national level. Will the Government consider this matter?

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, this issue comes under the Concurrent List. Mostly, the State Legislatures do take their own decisions within the States. There are several States which have already enacted laws and registration is provided there. But, since this matter was taken up by the Supreme Court, it was desired that there should be some sort of certainty about registration of women marriages to protect the interest of women. So, a concerted effort is being made to harmonise this law so that there is no difficulty in any faith or any religion, when the women suffer. They need protection of law and there should be presumption about the marriage and they should produce the certificate. This is a very laudable object. There is no need of any controversy.

शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जाना

*142. **श्री मंगनी लाल मंडल:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक मानकों की तुलना में योग्यता, मेधा, शोध और व्यवसायात्मक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने तथा उच्च शिक्षा को विश्वस्तरीय ज्ञान और शोध आधारित बनाने के लिए एक क्रांतिकारी योजना लागू की जानी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।